

# फर्द अहकाम

दायजलाल बनाम सुलावेरी

यालय नयापन नगर नगीर जयपुर  
 या 30/2/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>9/5/2024</p> <p>17/5/24</p>	<p>पत्रावली प्रस्तावित/उत्पन्न अधिवक्ता (पं०) अपाणी संख्या 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 13 उपस्थित। उत्पन्न प्रस्तावित/पत्रावली पर बहस करे। पत्रावली वास्तव बहस में दिनांक 17/5/2024 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय का निर्णय/प्रोटोकॉल इयुटी पर पधार हुआ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/5/24 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर              आमेर मू. जयपुर</p>
<p>28/5/2024</p>	<p>पत्रावली प्रस्तावित/उत्पन्न अपाणी संख्या 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 13 ने वर्ष 2022 से जवाब पेश नहीं किया है। अतः इनका जवाब का अभाव बंद किया जाता है। प्रो. फ. इस्चार् निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अपाणी के निर्णय किया की है। अपाणी/वि. विभाग के समुक्त कलेक्टर मू. के लेखना चाहेते है जिसे अपाणी को अपूरणीय शीमे सेगे करार संपादन के जरिये इस्चार् निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये। पत्रावली का अभाव/कम किया गया। चूंकि पहलकार के मध्य जवाब का सादभाविक विवाद है। सनी का हिस्सा निहित है। प्रथम दृष्टया मागला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय शक्ति श्री अपाणी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः वाद बहालता को रोकने के लिए आदेश दिनांक 27/2/2022 को मुलवाड के निस्तारण तक रूखा किया जाता है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर              आमेर मू. जयपुर</p>